तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज निगरानी./टीए/3965/2005/गंगानगर खुशियाराम व अन्य बनाम सहीराम वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य

उपस्थितः–
श्री प्रशान्त सोनी, अधिवक्ता, प्रार्थीगण
श्री एस.एस.मीणा, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण

निर्णय
दिनांकः– 25–11–2019

यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 230 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 06–08–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

प्रकरण में स्थापित अप्रार्थी संख्या 1 सहीराम का देहान्त होने के कारण प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र दिनांक 13–07–2010 अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी को न्यायहित में स्वीकार किया जाकर उल्लेखित आवेदकों को अप्रार्थी पक्ष प्रतिस्थापित किया जाता है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि उपजिला कलक्टर के समक्ष संस्थित प्रकरण संख्या 40/1981 बउनवान सरकार बनाम सहीराम वगैरहा अन्तर्गत वाद धारा 175 में पारित निर्णय दिनांक 27–02–1984 को न्यायालय ने इस आशय के साथ पारित किया कि प्रश्नगत आराजी को बहक सरकार घोषित किया जाता है। उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रार्थीगण ने राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष अपील पेश की, जिसे उन्होंने निर्णय दिनांक 29–09–2000 से खारिज कर दी। अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय के विरूद्ध अधीनस्थ अपीलीय

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज निगरानी./टीए/3965/2005/गंगानगर खुशियाराम व अन्य बनाम सहीराम वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण ने नजरसानी प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसके विचाराधीन रहने के दौरान प्रार्थीगण ने दिनांक 05–08–2005 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 41 नियम 25 सपठित धारा 151 सीपीसी पेश किया, जिसे उन्होंने आक्षेपित निर्णय दिनांक 06–08–2005 द्वारा खारिज कर दिया। राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा पारित उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रार्थीगण ने हस्तगत निगरानी मण्डल के समक्ष पेश की है। हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता नें निगरानी मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए आक्षेपित आदेश को त्रुटिपूर्ण बताया। उनका कहना है कि धारा 175 की कार्यवाही में न्यायालय न तो कोई तिथि अंकित की तथा न ही मियाद के बारे में कोई निष्कर्ष अंकित किया, यहीं नहीं किसी प्रकार की कोई साक्ष्य भी नहीं ली गई। इसके अतिरिक्त उक्त वाद बाबत आपत्ति होने पर उसका विचारण वाद की तरह किया गया। उक्त बिन्दु अपीलीय न्यायालय के समक्ष सशक्त था, इसके बावजूद अपीलीय न्यायालय ने इस पर कोई गौर नहीं किया। उनका तर्क है कि विचारण न्यायालय की कार्यवाही में प्रार्थी संख्या 2 आवश्यक पक्षकार संयोजित था परन्तु उसे दावे में पक्षकार संयोजित नहीं किया। उनका यह भी तर्क है कि मूल वाद में विचारण न्यायालय ने तनकी कायम नहीं की तथा प्रार्थी संख्या 2 को पक्षकार प्रतिस्थापित नहीं किया। इस कारण आक्षेपित आदेश अस्पष्ट तथा अकारण होने के कारण विधिक प्रावधानों के विपरीत प्रकट होने से खारिज होने	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज निगरानी./टीए/3965/2005/गंगानगर खुशियाराम व अन्य बनाम सहीराम वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

योग्य है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार कर आक्षेपित निर्णय दिनांक 06-08-2005 को निरस्त करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 15 व धारा 151 सीपीसी को स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29-09-2000 एवं उपजिला कलक्टर श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-02-1984 को निरस्त कर प्रकरण को उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया कि तनकी बनाकर तथा आवश्यक पक्षकार को रेकार्ड पर लेकर पुनः निर्णय पारित करें।

इसके विपरीत अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित आदेश को विधि सम्मत होना बताया है तथा कहा कि प्रार्थीगण ने मामले में किन्हीं नवीन तथ्यों का समावेश नहीं किया है, जिसके आधार पर विधि सम्मत तरीके से पारित आक्षेपित आदेश में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप किया जा सके। उनका कहना है कि प्रार्थीगण ने आलोच्य प्रार्थना पत्र केवल मात्र प्रकरण में अनावश्यक देरी करने की गरज से पेश किया है। इस प्रकार आक्षेपित आदेश अहस्तक्षेपनीय है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत निगरानी को निरस्त कर आक्षेपित निर्णय को यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अवलोकन व अध्ययन किया।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन करने से यह बिन्दु स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि उपजिला कलक्टर श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज निगरानी./टीए/3965/2005/गंगानगर खुशियाराम व अन्य बनाम सहीराम वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	27-02-1984 के विरूद्ध प्रार्थीगण ने राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष वर्ष 1994 में अपील दायर की थी जो कि वर्ष वर्ष 2002 तक विचाराधीन रही। उक्त अपील के विचारण के दौरान प्रार्थी ने आलोच्य प्रार्थना पत्र के द्वारा जिन बिन्दुओं को अभिवचित किया है, उन्हें उनके द्वारा तत्समय न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया है। यहीं नहीं अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण की उक्त अपील खारिज होने के बाद उसके विरूद्ध नजरसानी पेश होने पर अपील के अनुतोष से भिन्न तथ्यों का समावेश करते हुए आलोच्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 25 सीपीसी पेश किया है। इसके अतिरिक्त यह भी उद्धरित होता है कि प्रार्थीगण की अपील खारिज होने के बाद उसके विरूद्ध नजरसानी प्रार्थना पत्र वर्ष 2000 में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया था तथा प्रार्थीगण द्वारा वर्ष 2005 में आलोच्य प्रार्थना पत्र पेश कर अनुतोष चाहा जा रहा है। अतः यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि प्रार्थी द्वारा आलोच्य प्रार्थना पत्र पेश करने से प्रकरण में अनावश्यक विलम्ब होने की अपीलीय न्यायालय की उपधारणा उचित प्रतीत होती है। यहीं नहीं नजरसानी में केवल रेकार्ड पर स्पष्ट दिखाई देने वाली त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर ही विचार सम्भव है न कि प्रकरण के गुणावगुण के बिन्दुओं का दोबारा परीक्षण किया जाए। हमारा स्पष्ट मत है कि आलोच्य प्रार्थना पत्र के द्वारा जिन बिन्दुओं को प्रार्थीगण द्वारा परिभाषित किया गया है, वह इन्हें मूल अपील के विचारण के दौरान भी उठा सकते थे। उक्त समग्र स्थिति के परिप्रेक्ष्य में यह पाया जाता है कि हस्तगत	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज निगरानी./टीए/3965/2005/गंगानगर खुशियाराम व अन्य बनाम सहीराम वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मामले में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पारित कर प्रार्थीगण द्वारा पेश आलोच्य प्रार्थना पत्र को खारिज करने में किसी विधि का उल्लंघन होना प्रमाणित नहीं होता है। अतः आक्षेपित आदेश विधि सम्मत होने के कारण उसमें निगरानी के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। प्रार्थीगण ने निगरानी मीमो में असंगत आधारों को अभिवचित करने के कारण इनसे उन्हें कोई सहायता प्राप्त नहीं हो सकती। परिणामतः प्रस्तुत निगरानी सारहीन/बलहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 06-08-2005 को यथावत बहाल रखा जाता है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय नजरसानी प्रकरण में विधिनुसार आगामी विचारण की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(प्रवीण गुप्ता)** **सदस्य**	